दिनांक 27.03.2021

अभियुक्त/आवेदक मुन्ना कुशवाह की ओर से श्री वीरेन्द्र शर्मा अधिवक्ता द्वारा शीघ्र सुनवाई आवेदनपत्र मय अभियुक्त/आवेदक मुन्ना कुशवाह का प्रथम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा–439 दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर के एम.सी. आर.सी क्रमांक–16751/2021, आदेश दिनांक 26.03.2021 की प्रति के प्रस्तुत किया।

अभियुक्त/आवेदक मुन्ना कुशवाह की ओर से प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई आवेदनपत्र पर सुना गया। बाद विचार आवेदनपत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण आज सुनवाई में लिया गया।

अभियुक्त/आवेदक मुन्ना कुशवाह की ओर से श्री वीरेन्द्र शर्मा अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य द्वारा श्री धीरज जामदार अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

अभियुक्त/आवेदक मुन्ना कुशवाह की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा–439 दण्ड प्रक्रिया संहिता को आई.ए. नम्बर–01/2021 पर दर्ज किया गया।

प्रकरण में उभयपक्ष को अभियुक्त/आवेदक मुन्ना कुशवाह की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा–439 द.प्र.सं. (आई.ए.नम्बर–01/2021) पर सुना गया।

अभियुक्त/आवेदक की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं. संक्षेप में यह है कि पुलिस थाना–इन्दार द्व ारा झूठी एवं असत्य रिपोर्ट के आधार पर आवेदक के विरूद्ध अपराध क्रमांक–04/2021, धारा–370, 370ए, 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आवेदक को गिरफ्तार कर न्यायिक निरोध में भेज दिया है। प्रकरण के सहअभियुक्त रेखा को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एम.सी.आर.सी. क्रमांक–16751/2021, आदेश दिनांक 26.03.2021 के द्वारा तथा सहअभियुक्त चांदनी को षष्टम अपर सत्र न्यायालय, शिवपुरी द्वारा प्रतिभूति पर रिहा किया गया है। आवेदक का प्रकरण सहअभियुक्त से भिन्न नहीं है। आवेदक के निरोध में रहने से उसकी फसल बर्बाद हो रही है एवं परिवारजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आवेदक जमानत पर रिहा होने पर कहीं भागकर नहीं जायेगा और न ही साक्ष्य को प्रभावित करेगा। अतः आवेदक को उचित प्रतिभूति पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

अभियुक्त/आवेदक की ओर से अपने जमानत आवेदनपत्र में यह भी उल्लेखित किया है कि आवेदक का यह प्रथम जमानत आवेदनपत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदनपत्र किसी भी न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही निरस्त हुआ है। उक्त तथ्य के समर्थन में बाबू कुशवाह का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए व्यक्त किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध है। अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने पर साक्ष्य प्रभावित हो सकती हैं। अतः जमानत आवेदनपत्र

RAMPRATAP MISHRA
Digitally signed by RAMPRATAP MISHRA
Date: 2021.03.27 17:16:11 +0530

This is a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP33010021032021-orderno-1.pdf

निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

अभियुक्त/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि सहअभियुक्तगण रेखा एवं चांदनी को जमानत का लाभ प्रदान हो चुका है। आवेदक/अभियुक्त का प्रकरण भी सहअभियुक्त से भिन्न न होने के कारण जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण के अभिलेख का परिशीलन करने पर यह प्रकट होता है कि अभियुक्त/आवेदक मुन्ना कुशवाह के विरूद्ध पुलिस थाना इन्दार, जिला शिवपुरी में अपराध क्रमांक–04/2021, धारा–370, 370ए, 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत प्रकरण पंजीबद्ध है, जिसमें अभियोगपत्र प्रस्तुत होकर प्रकरण सत्रवाद क्रमांक–115/2021 पर दर्ज होकर आरोप तर्क के प्रक्रम पर लम्बित है। अभिलेख का परिशीलन करने पर यह दर्शित होता है कि अभियुक्त/आवेदक एवं अन्य सहअभियुक्तगण पर अभियोग है कि उन्होंने, सहअभियुक्त चांदनी को 70,000/– रूपये में फरियादी अजबसिंह को बेचने का कहा था, जिसकी सूचना फरियादी द्व ारा पुलिस थाना इन्दार में दिये जाने पर पुलिस थाना इन्दार के चिन्ह वाले रूपये अभियुक्तगण को देने की योजना अनुसार फरियादी द्वारा अभियुक्त/आवेदक मुन्ना कुशवाह को 15,000/– रूपये दिये थे, उस समय अन्य सहअभियुक्तगण भी मौजूद थे, तब पुलिस ने घेराबंदी कर अन्य सहअभियुक्तगण को पकड़ लिया था तथा अभियुक्त/आवेदक मुन्ना कुशवाह अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग गया तथा विवेचना के दौरान दिनांक 01.02.2021 को अभियुक्त/आवेदक को गिरफ्तार किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर के एम.सी.आर.सी. क्रमांक–16751/2021 में पारित आदेश दिनांक 26.03.2021 की प्रति के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रकरण के सहअभियुक्त रेखा को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत का लाभ दिया गया है। अभिलेख के परिशीलन पर यह प्रकट होता है कि षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी द्वारा जमानत आवेदनपत्र क्रमांक–129/2021, आदेश दिनांक 22.01.2021 के द्वारा अभियुक्त चांदनी को जमानत का लाभ दिया गया है। किन्तु अभियुक्त/आवेदक का मामला सहअभियुक्तगण रेखा एवं चांदनी से भिन्न है, क्योंकि अभिलेख के परिशीलन उपरान्त दर्शित होता है कि अभियोजन के पक्ष कथन के अनुसार अभियुक्त/आवेदक मुन्ना कुशवाह द्वारा महिला सहअभियुक्त चांदनी का दुर्व्यापार करने हेतु रूपयों की मांग की गयी है, जिससे अभियुक्त/आवेदक मुन्ना कुशवाह प्रकरण का मुख्य आरोपी होना दर्शित होता है।

महिलाओं के प्रति बढ़ते दुर्व्यापार के मामले एवं उसके समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुये अभियुक्त/आवेदक मुन्ना कुशवाह को जमानत का लाभ दिया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः अपराध के स्वरूप एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त/आवेदक मुन्ना कुशवाह की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता (आई.ए.नम्बर–01/2021) **निरस्त** किया जाता है।

आई.ए.नम्बर–01/2021 का परिणाम सी.आई.एस. में दर्ज किया जाये।

This is a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP33010021032021-orderno-1.pdf

प्रकरण आरोप तर्क हेतु पूर्ववत दिनांक 26.04.2021 को पेश हो।

RAMPRATAP MISHRA
Digitally signed by RAMPRATAP MISHRA
Date: 2021.03.27 17:16:26 +0530

(आर.पी. मिश्र)
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

This is a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP33010021032021-orderno-1.pdf